पत्रॉक–वैट / विधि–4(1) (09–10)परिपत्र भाग–2 / 719 / 0910042 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0

(विधि अनुभाग)

लखनऊ / दिनांक / अगस्त 26 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पर फील्ड से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ऐसे सिविल / विद्युत संविदाकार जिनके द्वारा शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया है तथा उनकी संविदायें सम्बन्धित समाधान योजना के अन्तर्गत आने के कारण उन पर 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि (कर) का दायित्व है। वैट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत स्त्रोत पर कम दर से कटौती का प्राविधान होने के बावजूद ऐसे मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर से कटौती किये जाने के आदेश पारित नहीं किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 34 की उपधारा (4) के प्राविधान निम्न प्रकार है :–

(4) "In the circumstances under sub-section (2), the dealer selling goods may, for issue of direction to the purchaser to deduct an amount lesser than the proposed amount of tax or not to deduct any amount as tax, apply to the assessing authority having jurisdiction over the principal place of his business or if he has no fixed place of business, to the assessing authority in whose jurisdiction he ordinarily resides."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि व्यापारी पर 4 प्रतिशत से कम दर से भविष्य में कर आरोपित होने की सम्भावना है तो कर निर्धारण अधिकारी 4 प्रतिशत से कम की दर से स्त्रोत पर कटौती किये जाने के आदेश पारित कर सकते हैं। शासन द्वारा सिविल / विद्युत संविदाकारों के लिए विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–1278 / ग्यारह / 2009–9(2) / 08 दिनांक 9–6–09 द्वारा समाधान योजना लागू की गयी है जिसके प्रस्तर–अ के उप–प्रस्तर–2 (क) एवं प्रस्तर–ब के उप–प्रस्तर–2 (क) के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो उसमें समाधान धनराशि की दर 2 प्रतिशत होगी। अतः ऐसे संविदाकार जिनके द्वारा 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि देने का विकल्प चुना गया है और उनकी संविदायें जारी समाधान योजना में निहित शर्तों के अनुसार समाधान योग्य हैं तो ऐसे मामलों में 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि आरोपित होने के कारण इस दर से अधिक दर से स्त्रोत पर कटौती किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे संविदाकार जिनके द्वारा 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि देने का विकल्प चुना गया है और उनकी संविदायें समाधान योग्य हैं तो ऐसे मामलों में व्यापारी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर 2 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कटौती किये जाने के आदेश जारी कर दिये जायें ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

ह /
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. श्री एच0एन0राव / श्री एस0सी0द्विवेदी संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) / (अपील) / कॉरपोरेट सर्किल / ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग / सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियां।
11. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

ह /
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।